

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना

संख्या-एल/एच०जी०-1702/2015-9838 / पटना, दिनांक-18/10/16/

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**-(1) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह दिनांक-19.08.2016 के प्रभाव से लागू होगी।
2. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम-4 (1) में संशोधन। उक्त नियमावली, 2005 के नियम-4 (1) का समादेष्टा संवर्ग निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
समादेष्टा संवर्ग

क्र०	पद का नाम	प्रोन्नत/सीधी भर्ती/चयनित पद/पद पदस्थापन पर
	समादेष्टा संवर्ग	
1.	उप महासमादेष्टा (पुलिस उप महानिरीक्षक के समकक्ष)	प्रोन्नति के पद
2.	वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा (पुलिस अधीक्षक/स्टाफ ऑफिसर के समकक्ष)	प्रोन्नति के पद
3.	प्रमंडलीय समादेष्टा (अपर पुलिस अधीक्षक के समकक्ष)	प्रोन्नति के पद
4.	वरीय जिला समादेष्टा (वरीय पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष)	प्रोन्नति के पद
5.	जिला समादेष्टा (पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष)	50 प्रतिशत प्रोन्नति के पद, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(चन्द्रशेखर सिंह)

सरकार के अपर सचिव,
गृह विभाग (विशेष शाखा),
बिहार, पटना

P.T.O.

ज्ञापांक— एल/एच०जी०-1702/2015...../ पटना, दिनांक—...../
प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड
कॉपी सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना (अंग्रेजी अनुवाद सहित) की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ
गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु०-अंग्रेजी अनुवाद।

Subject- Bihar Home Guards (Amendment) Rules-2015

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— एल/एच०जी०-1702/2015...../ पटना, दिनांक—...../

प्रतिलिपि:— महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार,
पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/पुलिस
महानिदेशक, बिहार, पटना/महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना/सभी प्रमंडलीय
आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

ह०/-


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— एल/एच०जी०-1702/2015...../ पटना, दिनांक—...../
प्रतिलिपि:— संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-
05.10.2016 (मद सं०-10) के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— एल/एच०जी०-1702/2015-9838...../ पटना, दिनांक—18/10/16...../
प्रतिलिपि:— आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव


18/10

18
आइ.जी.प्र.भ.क.

Government Of Bihar

Home Department

(Special Branch)

NOTIFICATION

No.L/H.G.-1702/2015 - 9838...../

Patna, Dated.. 18/10/16...../

In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Home Guard Service Rules, 2005 :-

1. Short title, extent and commencement- (1) These rules may be called the Bihar Home Guard Service (Amendment) Rules, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It will come into force with effect from 19.08.2016.

2. Amendment in Rule-4(1), of the Bihar Home Guards Service Rules, 2005. - The "Commandant Cadre" of Rule-4 (1) of the Bihar Home Guard Service Rules, 2005 shall be substituted by the following :-

Commandant Cadre

Sl. No.	Name of Posts Commandant Cadre	Promotion/Direct Recruitment / Selected Post/Posting on Post
1.	Deputy Commandant General (Equivalent to Deputy Inspector General of Police)	Promotional Post
2.	Senior Divisional Commandant (Equivalent to Superintendent of Police/Staff Officer)	Promotional Post
3.	Divisional Commandant (Equivalent to Additional Superintendent of Police)	Promotional Post
4.	Senior District Commandant (Equivalent to Senior Deputy Superintendent of Police)	Promotional Post
5.	District Commandant (Equivalent to Deputy Superintendent of Police)	50% Promotional Post. 50% Direct Recruitment

By the order of The Governor of Bihar,

18/10/2016

(Chandra Shekhar Singh)

Additional Secretary to the Government,
Home Department (Special Branch),
Bihar, Patna

18/10